-1.

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE AT JABALPUR (M.P.)

CIVIL REVISION No. OF 2016

APPLICANT : Ku. Phoolwati Bhavedi, D/o Shri Halkeram Bhavedi Aged about 40 years, Permanent R/o Village Rehgi Tehsil and District Dindori (M.P.) At present R/o C/o Shri S.P. Singh, 3045, Narmada Road, Near Adarsh Nagar, Jabalpur (M.P.)

Versus

RESPONDENTS : 1. State of Madhya Pradesh through Collector Jabalpur District Jabalpur (M.P.)

2. Smt. Nidhi Jha, W/o Shri Manish Jha, R/o 1185/1, Sudha Vihar, Rampur District Jabalpur (M.P.)

REVISION UNDER SECTION 50 OF MADHYA PRADESH LAND REVENUE ACT 1958

Being aggrieved by the impugned order dated 30.10.2016 (as **ANNEXURE A/1**) passed by the Learned Commissioner Jabalpur Division Jabalpur in Appeal No.54/A-2/2014-15 (Ku. Phoolwati Bhavedi Vs. State of M.P. & Ors.), arising out of the order

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – 7275–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 54/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदिका कु0 फूलवती भवेदी द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदिका द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सिवनी प.ह.नं. 22 (नान्हाखेड़ा) रा.नि.मं. जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 352/2, 352/3 एवं 334/3 रकबा कमशः 0.800, 1.610 एवं 0.400 हैक्टर को अनावेदक कमांक 2 गैर आदिवासी सदस्य श्रीमती निधि झा पति श्री मनीष झा को विकय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कय की गई है । कलेक्टर ने	

-3-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश R 7275 / 16	पक्षकारों अभिभाषकों
	मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदिका द्वारा विक्रय की जा रहीभूमि वर्ष 2007 एवं 2008 में अन्य आदिम जनजाति के सदस्यों से क्रय की गई है और वर्ष 2010 में नाम दर्ज कराए जाने के बाद वर्ष 2012 में विक्रय का अनुबंध किया गया है । 02 वर्ष बाद विक्रय की अनुमति हेतु अनबंध करने के कारणउन्होंने अंतरण संदेहास्पद माना है तथा आवेदिका द्वारा बताए गए कारण समाधानकारक न मानते हुए आवेदन अस्वीकार किया है । इस आदेश की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है । कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि भूमि पर नाम दर्ज होने के 02 वर्ष बाद भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता, विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि पर नाम अंकित होने के 2 वर्ष बाद भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता । अतः जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है । आवेदिका आदिम जनजाति की सदस्या है इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । चूंकि आवेदिका के पास 4.100 हैक्टर अर्थात 10 एकड़ से अधिक भूमि शेष बच रही है और तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में अंतरण में छल कपट न होने तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा यह उल्लेख किया गया है को ध्यान में रखते हुए तथा आवेदिका के अधिवक्ता के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा उसे वर्तमान गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है आवेदिका को आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदिका को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम सिवनी प.ह.नं. 22 (नान्हाखेड़ा) रा.नि.मं. जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 352/2, 352/3 एवं 334/3 रकबा क्रमशः 0.800, 1.610 एवं 0.400 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक – 2 गैर	

CANCELLED

-4- कु0 फूलवती भवेदी विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – जबलपुर

प्रकरण कमांक – निग0 7275–एक/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदिवासी सदस्य श्रीमती निधि झा पति श्री मनीष झा को विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	